न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 378/2022

छगनी देवी पत्नी रावतराम
बनाम
देवीसिंह पुत्र अनोपसिंह वगैरा

दिनांक 17.12.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रकरण संख्या 18/2019 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 15—प्रार्थी—देवीसिंह वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर आग्रह किया कि तहसील शेरगढ के ग्राम टेलासर स्थित प्रार्थी सं0 2 से 15 की पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 1029 रकबा 29.14 बीघा एवं प्रार्थी सं0 1 की पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 1029/1 रकबा 27.05 बीघा राजस्व रेकर्ड में अलग—अलग खातेदारी में दर्ज है। परंतु नक्शा में तरमीम नही होने के कारण मूल खसरा नम्बर 1029 ही दर्ज है। इस कारण संयुक्त प्रार्थना पत्र पेश कर मूल खसरा नम्बर 1029 रकबा 55.19 बीघा की पत्थरगढी एवं सीमांकन करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर ख0नं0 1029 व 1029/1 में सभी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार शेरगढ को आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट—छगनी देवी ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित, बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थीया तहसील शेरगढ के ग्राम टेलासर के ख0नं0 511/2 एवं 1031/1 की खातेदार है, जो वादग्रस्त खसरान के चिपते पडौसी है। जिन्हें आलोच्य प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया और न ही नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलांट गरीब विधवा महिला है, रेस्पो0—प्रार्थी पत्थरगढी आदेश की आड में उसकी खातेदारी भूमि पर जरिये पुलिस इमदाद काबिज होना चाहते है। अपीलाधीन आदेश बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट व बिना पडौसी खातेदारों को पक्षकार

बनाये सीधे ही पारित कर दिया गया। जो विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से अपास्त करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलौच्य प्रकरण में विप्रार्थीगण सं0 1 से 16 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 4.1.22 को प्रेषित किए गये थे, जो लेने से इन्कार से वापस दिनांक 17.1.22 को प्राप्त हुए। विप्रार्थी बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामिल व लम्बे समय से अनुपस्थित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई, जो विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलौच्य प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त खसरान का सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया गया था। जिसकी मौका फर्द दिनांक 9.6.19 के अनुसार पडौसी ख0नं0 1031 व 486 के अन्दर से सीमाज्ञान नही करने दिया गया, बाहर से दोनों खसरों की सीमाज्ञान करने पर ख0नं0 1031 व 486, 10 बीघा ज्यादा हुई, लेकिन जमीन का मालिक मान नही रहा है। प्रकरण में अप्रार्थी राजपेरोकार तहसीलदार शेरगढ के जवाब में किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नही की गई। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया।

रेस्पो0सं0 16 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में निर्विवाद सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अभाव है, जो कि विधि अनुसार आज्ञापक है। इसके अलावा अपीलांट का यह कथन है कि आलौच्य प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार नही बनाये जाने से उन्हें सुनवाई का अवसर नही मिला। अपीलांट हस्तगत अपील के माध्यम से इस मामले में सुनवाई चाहती है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी शेरगढ (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रकरण सं0 18/2019 बअनवान देवीसिंह व अन्य बनाम राज0 सरकार में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2021 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर, उनकी सुनवाई हेतु नोटिस

17/12
निजी स्थानीय आयुक्त
जोधपुर

जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर, सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 17-12-25 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

17/12/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर